न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1475/2026
CNR NO.UPBH010039482026

नाज उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र गरीबुल, निवासी–अलीपुर दरौना, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच।
–––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य––– ––––––––अभियोगी।

अपराध संख्या–130/2026,
धारा–105 बी०एन०एस०,
थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच।

––––

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

14.07.2026

1. थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–130/2026, अन्तर्गत धारा–105 बी०एन०एस० में जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त नाज की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी हसन अब्बास के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिट्रेट, बहराइच द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–22.06.2026 को निरस्त किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उसका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय में प्रथम है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय पर या माननीय उच्च न्यायालय पर विचाराधीन नहीं है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–10.06.2026 की सुबह करीब 09.00 बजे वादी हाकिम अली का बेटा सनीफ उम्र करीब 22 वर्ष घर से करीब 300 मीटर उत्तर–पूरब दिशा में बंधे से लगी दीवार पर बैठा था, उसी समय विपक्षी नाज मौके पर आ गया और बात–बात में ही उसके बेटे सनीफ को धक्का दे दिया। उसका बेटा सनीफ दीवार के पीछे करीब 07–08 फीट नीचे गड्ढे में पीठ के बल गिर गया, जिससे उसके गर्दन में पीछे की तरफ अन्दरूनी चोट लग गई। उसे इलाज के लिए वजीरगंज में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डॉ० अकील के पास ले गए, जहाँ इलाज के दौरान बेटे सनीफ की मृत्यु हो गई।

5. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना–बौण्डी में दिनांक–11.06.2026 को समय 01:30 बजे आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–130/2026, धारा–105 बी०एन०एस० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोगी का लड़का सनीफ, मदिरा का अत्याधिक सेवन करता था और उस दिन अत्यधिक शराब पी रखी थी, बिल्कुल होश में नहीं था और स्वयं शराब के नशे में लड़खड़ा कर गिरने से चोट लग गई, जिस कारण दौरान दवा–इलाज मृत्यु हो गयी है। आवेदक/अभियुक्त मजदूरी के सिलसिले से घर से बाहर रहता है और उसी दिन मजदूरी करके घर आया था और घटना के समय घर पर नहीं था। घटना के पूर्व अभियोगी व आवेदक/अभियुक्त के घर के लोगों के मध्य लड़कों के विवाद को लेकर कहा–सुनी हो गयी थी और अभियोगी ने उसके घर वालों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिया था और मौका पाकर फर्जी घटना बनाकर उसको फंसा दिया। आवेदक/अभियुक्त को फर्जी रूप से नामित किया गया है और पुलिस द्वारा दिनांक–12.06.2026 को जेल भेजा गया है। उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके घर की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), बहराइच द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी हाकिम अली के बेटे सनीफ, जो दीवार

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.14 16:19:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर बैठा था, को धक्का दे दिया, जिससे उसका बेटा 07–08 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया और उसकी गर्दन में पीछे की तरफ अन्दरूनी चोट लग गई तथा इलाज के दौरान सनीफ की मृत्यु हो गई। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सनीफ की गैर–इरादतन हत्या कारित की गई है। मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक–11.06.2026 को किया गया, जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व 05 चोटें पायी गईं तथा मृत्यु पूर्व आई चोटों से उत्पन्न सदमा के कारण मृत्यु होना अंकित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादी व अन्य साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रदान की जाने की दशा में उसके द्वारा गवाहों को डराने–धमकाने एवं विचारण को प्रभावित किये जाने की संभावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् परिशीलन किया।

9. उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसने वादी हाकिम अली के बेटे सनीफ को दीवार से धक्का दिया, जिससे वह दीवार से नीचे गड्ढे में पीठ के बल गिर गया, जिससे आई चोटों के कारण उसकी गैर इरादतन हत्या हुई। केस डायरी के साथ संलग्न मृतक सनीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शव का पोस्टमार्टम दिनांक–11.06.2026 को किया गया, जिसमें मृतक के शरीर पर 05 चोटें–गर्दन के पीछे दाहिनी ओर, पश्चकपाल के ठीक नीचे और पैरास्पाइनल मांसपेशियों और वक्षीय कशेरुकाओं तक फैली हुई 8x4 से०मी० की सूजन के साथ चोट, बाएं कूल्हे के जोड़ पर 4x2.5 से०मी० का घाव, बाएं कोहनी के जोड़ के पश्च पार्श्व भाग पर 06x1.5 से०मी० का खरोंच, दाहिनी बांह के पश्च पार्श्व भाग पर 03x2.5 से०मी० का खरोंच एवं खोपड़ी के पश्चकपाल क्षेत्र पर 04x03 से०मी० की आघात पायी गईं व सिर, मस्तिष्क, गर्दन, लार्निक्स एण्ड ट्रैकिया में हेमाटोमा उपस्थित पाया गया तथा मृत्यु पूर्व आई चोटों से उत्पन्न सदमा के कारण मृत्यु होना अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में वादी हाकिम अली ने विवेचक को दिये अपने बयान में घटना वाले दिन उसके बेटे सनीफ का घर से करीब 300 मीटर उत्तर–पूरब दिशा में बंधे से लगी दीवार पर बैठे होने, उसी समय विपक्षी नाज के मौके पर आ जाने, बात–बात में उसके बेटे सनीफ को धक्का देने, उसके बेटे का दीवार से पीछे 07–08 फीट नीचे गड्ढे में पीठ के बल गिर जाने, जिससे उसके गर्दन में पीछे की तरफ अन्दरूनी चोट लगने, उसे इलाज के लिए वजीरगंज में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डॉ० अकील के पास ले जाने, जहाँ इलाज के दौरान बेटे सनीफ की मृत्यु हो जाने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में साक्षी श्रीमती नाजमा व चांदबाबू एवं केस डायरी के पर्चा संख्या–5 में साक्षी साबिर अली व फूल मोहम्मद ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–5 में ही डॉ० वकील ने विवेचक को दिये अपने बयान में दिनांक–10.06.2026 को समय करीब 04.10 पी०एम० पर बेहोशी की हालत में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को चारदिवारी के नीचे खाई में गिरने से उसके सिर में काफी चोटें आने, स्टाफ द्वारा उसका इलाज शुरू करने, उसकी हालत सीरियस होने के कारण उसे सदर अस्पताल रेफर करने व उसकी मृत्यु उसके हास्पिटल में होने का अभिकथन किया है। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है। प्रकरण गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नाज की ओर से अपराध संख्या–130/2026, धारा–105 बी०एन०एस०, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–14.07.2026
J.O.Code–UP2017